उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एंव सुधार अनुभाग-4

संख्या-08/2016/122//22-4-16-119(ब)/2000टीसी-8(ए)

लखनऊ : दिनांक-25 जनवरी,2016

शुद्धि- पत्र

जिला कारागार सोनभद्र, जनपद न्यायालय बागपत, आजमगढ़, जिला कारागार एवं जनपद न्यायालय गोण्डा, जिला कारागार एवं जनपद न्यायालय कन्नौज, जिला कारागार एवं जनपद न्यायालय बलरामपुर, उप कारागार एवं जनपद न्यायालय ज्ञानपुर, जनपद न्यायालय बस्ती के वीडियो कान्फ्रेन्सिंग कक्षों के निर्माण कार्यों को पूर्ण किये जाने हेतु जारी वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-04/2016/48/22-4-16-119(ब)/2000टीसी-8(ए), दिनांक 18.01.2016 में अंकित मूल स्वीकृति विषयक शासनादेश के साथ शासनादेश संख्या-92/2015/403/22-4-15-119(ब)/2000टीसी-8(ए), दिनांक 29.03.2015 को अंकित करने एवं शासनादेश दिनांक 18.01.2016 की तालिका के कालम-03 में अंकित मूल स्वीकृत लागत के योग रू0 390.20 के स्थान पर रू0 433.70 तथा तालिका के कालम-04 में अंकित धनराशि के योग रू0 194.613 के स्थान पर रू0 216.363 पढ़ा जाय।

(आर0के0 द्विवेदी)

विशेष कार्याधिकारी

संख्या-08/2016/122(1)/22-4-16-तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महानिरीक्षक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0 लखनऊ।

(2) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।

(3) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।

(4) प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ।

(5) प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ।

(6) जिलाधिकारी, सोनभद्र, बागपत, आजमगढ़, गोण्डा, कन्नौज, बलरामपुर, भदोही एवं बस्ती।

(7) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(8) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

(9) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।

(10) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2

(11) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0के0 द्विवेदी)

विशेष कार्याधिकारी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in